(च) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (च) औद्योगिक नीति पर विवरण 24.7.1991 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया था। सरकार की औद्योगिक नीति का लक्ष्य पहले से ही प्राप्त उपलब्धियों को मजबूत करना, उत्पादन तथा सार्थक रोजगार में स्थायी वृद्धि कायम रखना है। औद्योगिक क्षेत्र में सुधार जारी रखने की सरकार की नीति के अनुरूप, सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। लाइसेंसीकरण हटाने का दायरा बढ़ाया जा चुका है। घरेलू निवेश की अनुपूर्ति के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने हेतु और-आधिक बल दिया जा रहा है। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस अपेक्षित है उन्हें कम करके मात्र छः कर दिया गया है। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हेतु, अधिसूचित अधिकतम सीमा तक विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अनिवासी भारतीय विदेशी नियमित निकाय निवेश की अनुमति स्वतः अनुमोदन मार्ग के माध्यम से प्रदान की जाती है।

औद्योगिक नीति, प्रक्रियाओं और उनका क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। हाल ही में किये गये उपायों में ये शामिल हैं। कोयला लिग्नाइट, पैट्रोलियम (कच्चे को छोड़कर) और इसके आसवन उत्पादों तथा चीनी सहित उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना, विदेशी इक्विटी हेतु स्वतः अनुमोदन के लिए उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची का विस्तार, गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए क्रियाकलापों का विस्तार, निजी क्षेत्र के बैंकों में 40% तक इक्विटी के अंशदान हेतु बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं को अनुमति देना तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु कई अन्य उपाय आदि।

बिहार के झारखण्ड क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण

2379. **श्री शिबू सोरेन:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत झारखण्ड क्षेत्र के 18 जिलों में वर्ष-वार और जिला-वार कितने बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण दिया गया;

(ख) इस मद के अन्तर्गत आबंटित राशि का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित बेरोजगार व्यक्तियों का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित या विवादग्रस्त मामलों/आवेदनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन केन्द्र सरकार राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को लाभानुभोगियों की संख्या के अनुसार केवल भौतिक लक्ष्य ही आबंटित करती है। फिर राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें, जिलों को आगे भौतिक लक्ष्य आबंटित करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को 15% की दर अधिकतम 7,500 रु० तक राजसहायता देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और या कार्यान्वयनकारी बैंकों के माध्यम से लाभानुभोगियों को पहुंचायी जाती है। प्रशिक्षण तथा अन्य प्रचालन कार्यों के लिए, निधियां योजना की प्रगति के अनुसार, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को जारी/प्राधिकृत की जाती हैं।

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में बिहार के झारखंड क्षेत्र के 15 जिलों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित बैंक आफ इंडिया से सहायता प्राप्त कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाले विवरण क्रमशः विवरण I, विवरण II और विवरण III में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**। बिहार के झारखंड क्षेत्र के दुमका, पलामू तथा गढ़वा जिलों में बैंक आफ इंडिया की शाखाएं नहीं हैं।

(घ) बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विवादास्पद मामलों/आवेदनपत्रों पर विचार किया जाता है और जिला उद्योग केन्द्र/कार्य बल की सहायता से इनका समाधान किया जाता है। बैंकों में वित्तीय वर्ष के अंत में शेष बचे आवेदनपत्रों पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई की जाती हैं।

विवरण I

1995-96 के दौरान बिहार के झारखंड क्षेत्र में बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सहायता प्राप्त जिला-वार लाभानुभोगी (कुल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लाभानुभागी)

(जैसा कि बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बताया गया है)

वित्तीय वर्ष 1995-96 **(राशि लाख रुपयों में)**

क्रम सं०	जिले का नाम	वित्त पोषित लाभानुभोगियों के लेखों की कुल संख्या	वित्तीय ऋण की कुल राशि	जिसमें से					
				अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
				लेखे (संख्या)	राशि	लेखे (संख्या)	राशि	लेखे (संख्या)	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गिरीडीह	129	58.00	10	4.00	12	5.00	32	15.00
2.	बोकारो	134	95.00	9	7.00	11	8.00	30	25.00
3.	देवधर	7	3.61	1	0.52	1	0.50	3	1.55
4.	गोडा	6	4.17	1	0.57	1	0.60	2	1.60
5.	पाकुर	3	2.15	1	0.65	1	0.70	1	0.80
6.	साहिबगंज	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	रांची	172	101.84	18	11.20	49	24.03	68	42.44
8.	गुमला	102	58.90	11	5.80	23	14.10	49	31.50
9.	लोहरदगा	42	28.80	4	2.25	9	4.90	22	13.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	प० सिंहभूम	162	109.90	16	10.40	34	23.70	72	50.90
11.	पूर्वी सिंहभूम	102	68.66	12	6.75	24	16.20	48	32.33
12.	हजारीबाग	141	83.76	14	9.90	28	22.30	59	42.34
13.	चतरा	42	26.18	4	2.75	10	5.30	21	12.50
14.	कोडरमा	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	धनबाद	219	147.44	22	15.80	45	32.10	99	69.15

टिप्पणी: बिहार के दुमका, गढ़वा तथा पलामू जिलों मैं बैंक ऑफ इण्डिया के कोई भी शाखा नहीं हैं।

विवरण II

1996-97 के दौरान बिहार के झारखंड क्षेत्र में बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सहायता प्राप्त जिला-वार लाभानुभोगी (कुल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लाभानुभागी)

(जैसा कि बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बताया गया है)

वित्तीय वर्ष 1996-97

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं०	जिले का नाम	वित्त पोषित लाभानुभोगियों के लेखों की कुल संख्या	वित्तीय ऋण की कुल राशि	जिसमें से					
				अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
				लेखे (संख्या)	राशि	लेखे (संख्या)	राशि	लेखे (संख्या)	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गिरीडीह	92	70.00	8	4.00	7	4.00	22	18.00
2.	बोकारो	223	168.00	18	13.00	22	15.00	50	45.00

3.	देवधर	14	7.76	2	1.15	2	1.06	4	2.15
4.	गोडा	6	5.18	1	0.80	1	0.93	2	1.70
5.	पाकुर	4	2.56	1	0.62	1	0.60	1	0.70
6.	साहिबगंज	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	रांची	150	103.80	15	10.80	32	23.40	65	49.10
8.	गुमला	92	59.15	9	6.10	19	13.40	35	25.30
9.	लोहरदगा	28	18.20	3	1.80	7	3.90	13	10.80
10.	पश्चिम सिंहभूम	123	79.15	13	8.50	27	18.10	51	33.00
11.	पूर्वी सिंहभूम	67	51.15	6	5.00	12	10.18	25	20.80
12.	हजारीबाग	102	74.30	10	7.50	21	15.00	44	33.00
13.	चतरा	40	31.20	4	3.00	9	6.10	17	13.10
14.	कोडरमा	35	22.8	4	2.9	8	5.2	15	12.1
15.	धनबाद	211	136.25	22	13.90	43	27.80	84	50.41

टिप्पणी: बिहार के दुमका, गढ़वा तथा पलामू जिलों मैं बैंक ऑफ इण्डिया के कोई भी शाखा नहीं है।

विवरण III

1997-98 के दौरान बिहार के झारखंड क्षेत्र में बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सहायता प्राप्त जिला-वार लाभानुभोगी (कुल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लाभानुभागी)

(जैसा कि बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बताया गया है)

वित्तीय वर्ष 1997-98 **(राशि लाख रुपयों में)**

क्रम सं॰	जिले का नाम	वित्त पोषित लाभानुभोगियों के लेखों की कुल संख्या	वित्तीय ऋण की कुल राशि	जिसमें से					
				अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
				लेखे (संख्या)	राशि	लेखे (संख्या)	राशि	लेखे (संख्या)	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गिरिडीह	48	29.00	6	3.00	6	2.00	15	11.00
2.	बोकारो	92	70.00	11	8.00	9	7.00	30	25.00
3.	देवघर	12	8.95	2	1.70	1	0.90	3	2.40
4.	गोडा	2	1.15	—	—	1	0.55	1	0.60
5.	पाकुर	5	3.32	1	0.70	1	0.72	1	0.65
6.	साहिबगंज	1	0.5	—	—	—	—	—	—
7.	रांची	72	43.50	7	4.80	15	9.25	28	20.10
8.	गुमला	90	50.30	9	5.50	18	10.20	35	24.80

9. लोहारदगा	25	22.20	3	2.00	6	4.50	12	8.80
10. पश्चिम सिंहभूम	91	50.20	9	5.15	19	11.20	36	21.10
11. पूर्वी सिंहभूम	87	62.15	9	6.10	18	12.50	37	25.50
12. हजारीबाग	93	72.44	9	7.20	19	14.15	38	28.50
13. चतरा	20	12.40	2	1.20	4	2.15	8	5.60
14. कोडरमा	42	30.5	4	3.00	8	6.1	8	12.9
15. धनबाद	171	100.31	17	11.00	35	23.20	65	43.00

टिप्पणी : बिहार के दुमका, गढ़वा तथा पलामू जिलों मे बैंक ऑफ इण्डिया के कोई भी शाखा नहीं है।